चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 22.03.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में इस वर्ष में हुई पैरवी के कार्यो की समीक्षा एवं आगामी एजेन्डा बिन्दुओं थाना काजलिस्ट रजिस्टर, दिनांकवार काजलिस्ट रजिस्टर, साक्षी उपस्थित रजिस्टर, पर्चा फैसला रजिस्टर, रजिस्टर आरोप तय 313 सीआरपीसी, निर्गत सम्मन दर्ज करने हेतु रजिस्टर, रिमाण्ड रजिस्टर एवं सम्मन/वारण्टी रजिस्टर तैयार करने व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए

गए। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा चिन्हित मुकदमों में शेष बचे साक्षियों को जल्द से जल्द साक्ष्य हेतु उपस्थित कराने के लिए समस्त पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिरों को निर्देशित किया गया।
इस दौरान मॉनीटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव,कोर्ट मोहर्रिर एवं पैरोकार उपस्थित रहे।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह व उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता नं0 1.कु0 ताराबाई पुत्री शोभानाथ निवासी वार्ड नं0 14 सिंगीवहार थाना जसपुर जिला जसपुर हाल पता वरटोली थाना जसपुर जिला जसपुर छत्तीसगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष के पास से एक ट्राली बैंग में 04 किलो 100 ग्राम गांजा व अभियुक्ता नं0 2. कु0 अमृता पैकरा पुत्री शशिकुमार निवासी म0नं0 166 वार्ड नं0 12 थाना लहलूंगा जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष एक ट्राली बैंग में 04 किलो 30 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1. उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सीतापुर
2. आरक्षी अभिषेक प्रताप
3. आरक्षी अनुज यादव
4. आरक्षी नागेश कुमार
5. महिला आरक्षी काजल यादव

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री उ0नि0 सुभाष राम व उ0नि0 श्री जटाशंकर शुक्ला मय हमराह आरक्षी सूरज कुमार निर्मल की टीम द्वारा वाद सं0 - 5764/026 धारा 138 एनआई एक्ट के वारण्टी अभियुक्त मदन सेन पुत्र रामनरायण निवासी बीरु राम का पुरवा (भौरी) बाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।